फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू जयपुर

रामदयाल बनाम राज० सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष : वाद 46 /2019

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/01/2022	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/03/2022 को पेश हो।	
	14/3/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 28/4/22 को पेश हो।	
	28/4/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09/6/22 को पेश हो।	
	09/6/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08/8/22 को पेश हो।	
	08/8/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 13/10/22 को पेश हो।	
	13/10/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/11/22 को पेश हो।	
	11/11/22	प.प. 3501 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 16/1/23 को पेश हो।	
	16/1/23	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 31/3/23 को पेश हो।	
	31/3/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08/6/23 को पेश हो।	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/4/23	व० क्र० उप० / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 20/4/23 को पेश हो। [signature]	
	20/4/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/5/23 को पेश हो। [signature]	
	18/5/23	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 / कैम्प कोर्ट ग्राम [illegible] में पेश हुई। पक्षकारान उप./अनु. पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 05.07.23 को पेश हो। [signature]	
	05/7/23	व.क्र.उप. / पत्रावली पूर्वादेशानुसार आगामी दिनांक 21/7/23 को पेश हो। [signature]	
	21/7/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/7/23 को पेश हो। [signature]	
	28/7/23	व.वादी उप.। बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बो० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–37/2019

उनवान

1. रामदयाल पुत्र हनुमान
2. सूण्डाराम पुत्र हनुमान

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत नक्शा दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–28.07.2023

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम विमलपुरा, पटवार हल्का सान्दरसर, भू–अभिलेख निरी0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता सं0 145 की भूमि आराजी साबिक खसरा नं0 426 व हाल आराजी खसरा नं0 838 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 841 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.35 है0 तथा इसी प्रकार हाल खसरा नं0 211 के साबिक खसरा नं0 425 हाल आराजी खसरा नं0 690/897 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 691 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 840 रकबा 0.61 है0, खसरा नं0 842/898 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वादीगण अरसे दराज से बतौर खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। हाल ही में प्रतिवादीगण तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने मनमाने तरीके से नक्शा परिवर्तित किया है, जिसके तहत ही उन्होने वादीगण की उक्त भूमि को मात्र हाल नक्शा ट्रेस जो इस वाद पत्र का अभिन्न अंग है, में पूर्व राजस्व नक्शा वर्ष 1950 के मुकाबले अकारण की तुलनात्मक रुप से कम कर दी है। जिसे वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में स्पष्ट किया है कि लाल रंग से वर्णित लाईन मार्क एबीसीडीई पूर्व नक्शा 1950 में थी, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा हाल नक्शे में हरे रंग से वर्णित मार्क ईएफजीएच लाईन तक वादीगण की भूमि को

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मात्र नक्शे में कम किया गया है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण की भूमि पूर्ण है जिसका की उन्हे कत्तई भी कानूनी अधिकार नहीं था। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण ने हाल नक्शा ट्रेस में मार्क ए स्थान पर 7.58 मीटर, मार्क सी स्थान पर 8.63 मीटर, मार्व डी स्थान पर 12.55 मीटर तथा मार्क ई स्थान पर 16.06 मीटर भूमि पूर्व नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे में वादीगण की भूमि कम कर दी है, जिसका कि उन्हे कतई भी कानूनी हक अधिकार नहीं है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादीगण की राजसव रिकॉर्ड में दर्ज भूमि कम नहीं की जाकर मात्र हाल नक्शा ट्रेस में लाल लाईन के स्थान पर हरी लाईन तक भूमि कम की गई है। जो नैसर्गिक न्याय के विपरीत है तथा प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त हाल गलत नक्शे के आधार पर उनकी कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल कर देने पर आमदा हो रहे हैं। जिस आशय से प्रतिवादीगण पिछले 15 दिनों से वादीगण को उसकी भूमि से बेदखल करने की लगातार धमकियां दे रहे हैं। जिस कारण से उक्त वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजमी आया है।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि वादपत्र में वर्णित आराजियात में हाल नक्शे में डाली गई हरी लाईन को पूर्ववर्ती नक्शे अनुसार लाल लाईन मार्क ए बी सी डी ई तक दुरुस्त की जावे तथा राजस्व नक्शे में अंकन किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि से मात्र त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन के जरिये करायें।

वादीगण द्वारा स्वयं के साक्ष्य शपथ पत्र व हाल नक्शा ट्रेस पेश किया गया है। प्रतिवादी सं0 2 तहसीलदार चौमूं द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2020 को पेश की गई है जसके साथ उपतहसीलदार गोविन्दगढ़ व पटवार मण्डल सान्दरसर की रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें विवादित आराजियात के वर्तमान नक्शे में शुद्वि किये जाने की अभिषंसा की गई है।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में हाल नक्शे में डाली गई हरी लाईन को पूर्ववर्ती नक्शे अनुसार लाल लाईन मार्क ए बी सी डी ई तक दुरुस्त करवाने तथा तदनुसार राजस्व नक्शे में अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में हाल नक्शे में डाली गई हरी लाईन को पूर्ववर्ती नक्शे अनुसार लाल लाईन मार्क ए बी सी डी ई तक दुरुस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व नक्शे में अंकन किया जाना न्यायोचित होगा।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं0–37 / 2019
उनवान–रामदयाल बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 28.07.2023

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम विमलपुरा, पटवार हल्का सान्दरसर, भू–अभिलेख निरी0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता सं0 145 की भूमि आराजी साबिक खसरा नं0 426 व हाल आराजी खसरा नं0 838 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 841 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.35 है0 तथा इसी प्रकार हाल खसरा नं0 211 के साबिक खसरा नं0 425 हाल आराजी खसरा नं0 690 / 897 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 691 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 840 रकबा 0.61 है0, खसरा नं0 842 / 898 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर भूमि में हाल नक्शे में डाली गई हरी लाईन को पूर्ववर्ती नक्शे अनुसार लाल लाईन मार्क ए बी सी डी ई तक दुरुस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व नक्शे में अंकन किया जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं0–37 / 2019
उनवान–रामदयाल बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 28.07.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

1. रामदयाल पुत्र हनुमान
2. सूण्डाराम पुत्र हनुमान

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय जयपुर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत नक्शा दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–37 / 2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

वाके ग्राम विमलपुरा, पटवार हल्का सान्दरसर, भू–अभिलेख निरी0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता सं0 145 की भूमि आराजी साबिक खसरा नं0 426 व हाल आराजी खसरा नं0 838 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 841 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.35 है0 तथा इसी प्रकार हाल खसरा नं0 211 के साबिक खसरा नं0 425 हाल आराजी खसरा नं0 690 / 897 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 691 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 840 रकबा 0.61 है0, खसरा नं0 842 / 898 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर भूमि में हाल नक्शे में डाली गई हरी लाईन को पूर्ववर्ती नक्शे अनुसार लाल लाईन मार्क ए बी सी डी ई तक दुरुस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व नक्शे में अंकन किया जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.07.2023 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मुकदमा सं0–37 / 2019
उनवान–रामदयाल बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 28.07.2023

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)